रजिस्ट्रेषन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 44 ● अंक – 1 ● कानपुर 1 से 15 जनवरी 2022 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

मान्यता के लिये

राज्य स्तरीय प्रयास ही प्रभावी होंगे

बिहार राज्य का वर्तमान आयोजन इसका नमूना हो सकता है

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करने के लिये 28 फरवरी, 2017 को एक अन्तर विभागीय समिति का गठन किया गया था जिसने मान्यता प्रदान करने के लिये न्यूनतम अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्ड निर्धारित किये थे जिसकी पूर्ति के लिये चरणबद्ध ढंग से समय निर्धारित था, लगभग पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी दावेदारों द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा सकी और पूर्ति की भी नहीं जा सकती है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में छत्तीस राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश हैं जिनकी परिस्थितियां भिन्न हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी विभिन्न स्तरीय संस्थायें हैं जिनकी कार्य शैली भिन्न–भिन्न हैं, भिन्न–भिन्न कार्यशैली वाली संस्थाओं में एकरुपता लाना सम्भव नहीं है, इन विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य की अनेकों समस्यायें हैं जिसकी एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना नहीं की जा सकती है, जबकि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों को राज्यों की भौगोलिक आवश्यकतानुसार पूर्ण करना है, यह आवश्यक नहीं है कि एक राज्य की स्थिति दूसरे राज्य के अनुरुप ही हो इसलिये प्रथम दृष्टि कुछ राज्यों का चयन कर जहाँ की स्थिति एक जैसी हो सकती है उनपर ही यह प्रयोग किया जा सकता है।

अन्तर विभागीय समिति के समक्ष उपस्थित दावेदारों द्वारा देश में कार्यरत शीर्ष संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं एवं निजी चिकित्सकों से उनके द्वारा ठीक किये गये रोगियों का विवरण मांगा जा रहा है, दावेदार इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे ? रोगियों का विवरण प्रमाणित हुये बिना उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये सबसे उपयुक्त मार्ग यह है कि पद्धति का राज्य स्तरीय विकास किया जाये इसके लिये आवश्यक है कि अन्तरविभागीय समिति के निर्देशानुसार कुछ रोगों का चयन किया जाये, स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक इसपर गम्भीरता से कार्य कर पद्धति की गुणवत्ता, प्रभावोंपादकता एवं सुरक्षा को प्रमाणित करने का प्रयास किया जाये।

इस कार्य में ज़िला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सरकार का सहयोग सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, इस कार्य में क्षेत्रीय विधायकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसमें वह अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के शमन के लिये राज्य सरकार से सहयोग के लिये संस्तुति भी कर सकते हैं तथा अपनी निधि से भी सहयोग कर सकते हैं एवं ज़िला योजनाओं में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने में राज्य की मध्यस्थता भी दर्शायी जा सकती है, राज्य सरकारें यदि हमारे किये गये कार्यों से संतुष्ट होंगी और हमारे कार्य को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग समझेंगी तो वे राज्य स्तर पर कार्य करने का अवसर भी प्रदान कर सकती है।

ज्ञातव्य हो कि शिक्षा एवं चिकित्सा राज्य के विषय हैं इसलिये हमें संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार का लाभ उठानें का प्रयास करना चहिये।

बिहार की राजधानी पटना में आयोजित **National Electro Homoeopathic Scientific Medical Conference** की ग्रुप फोटो में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च सेन्टर एण्ड इन्सटीट्यूट के मानद सचिव डा0 सुदामा प्रसाद सिंह एवं आयेजन के चेयरमैन डा0 सी0डी0 मिश्रा "प्रभाकर" को देखा जा सकता है स्रोत डा0 एस0 आर0 पण्डित

कानून की अनदेखी बहुत देर तक नहीं की जा सकती है

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा एवं चिकित्सा के लिये *25 नवम्बर, 2003 को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये हैं* जिसके अधीन मान्यता मिलने तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा प्रदान की जानी है तथा *दिशानिर्देशों के अनुरुप ही प्रमाण पत्र आदि जारी किये जा सकते हैं, उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने के भी राज्य सरकारों को निर्देश हैं।*

इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षण संस्थाओं द्वारा निरन्तर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन ही नहीं अपितु इसके विपरीत कार्य किया जा रहा है, विपरीत कार्य करने की अवस्था में केन्द्र सरकार द्वारा इन दिशानिर्देशों के स्पष्टिकरण के सम्बंध में 05 मई, 2010 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसंधान एवं विकास में कोई रोक नहीं है, इसी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि *इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थायें पूर्व की भांति चिकित्सा एवं शिक्षा का कार्य कर सकती हैं बशर्ते यह भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुसार हो।*

विदित हो कि 25 नवम्बर, 2003 के आदेश में स्पष्ट है कि *जिन चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता नहीं प्रदान की गयी है उसमें बैचलर व मास्टर डिग्री /डिपलोमा जारी न किया जाये* तथा पहले से मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ *डाक्टर* (Dr.) शब्द का प्रयोग नहीं करे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर इस आदेश के विपरीत बैचलर व मास्टर डिग्री/डिपलोमा धड़ल्ले से जारी किये जा रहे हैं, बैचलर व मास्टर के लिये मनमाने शब्दों का प्रयोग किये जा रहे हैं जिसका व्यवहारिक रुप से कोई अर्थ नहीं है और न ही वह शब्द चिकित्सा व्यवसाय में सहायक व उपयोगी हो सकते हैं, इसी प्रकार चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों को भी *आदेश के विरुद्ध प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं।*

देखा जाये तो यहां पर यह सिद्ध हो रहा है कि ऐसे जारी प्रमाण पत्र भविष्य में न तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कोई लाभ पहुंचा सकते हैं और न ही प्रमाण पत्र धारी के लिये उपयोगी हो सकते हैं, अभी तो प्रमाण पत्र धारक को यह अच्छा लग रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बैचलर/मास्टर डिग्री/डिपलोमा है परन्तु भविष्य में जब उसे पता चलेगा कि जिस संस्था से उसने अमुक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है, अपितु इस भ्रम में उसका बहुमूल्य समय व अर्थ सब नष्ट हो चुका होगा, सोचें तब उसके साथ या उसके मन मस्तिष्क में क्या उथल पुथल होगी यह तो समय ही बतायेगा।

देश में कानून का राज है और वर्तमान केन्द्र की सरकार कानून अक्षरशः पालन कर रही है और व चाहती है कि जनमानस भी उसके ही अनुरुप कानून का पालन करे, इसमें सरकार को ज़रा भी संकोच नहीं है कि किसी का भी मकान टूटे या फिर दुकान या किसी को जेल ही क्यों न जाना पड़े भले ही वह जज ही क्यों न हो, कानून तो कानून है इसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा।

किसी का मकान टूटने, दुकान टूटने या किसी अन्य कारण से किसी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो हमें इसका कोई सरोकार नहीं, हमें तो मात्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास से मतलब है, आजकल बड़ी तीव्र गति से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रमाण पत्रों की जाँच तथा चिकित्सालय में उपलब्ध औषधियों की छान–बीन का कार्य चल रहा है, इस छान बीन में कानून से अनजान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अकारण ही परेशान हो सकते हैं, ऐसे चिकित्सकों को असुविधा से बचाने के लिये समय समय पर उन्हें अपडेट करना ज़रुरी है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शीर्ष संस्थाओं/संगठनों एवं संस्था संचालकों को चाहिये कि सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से भी करायें तथा सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उसी के अनुरुप उठाना चाहिये एवं इन प्रदत्त सुविधाओं में किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ न करके सीधे सीधे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को बताना चाहिये क्योंकि वर्तमान सरकार में कानून का उल्लंघन बहुत देर तक नहीं किया जा सकता है।

कहीं हम स्वयं ही एक समस्या तो नहीं

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जब भी कहीं कोई बात चलती है तो समस्याओं की चर्चा अपने आप ही होने लगती है तब यह लगने लगता है कि समस्यायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्ता– धर्ताओं में ! समस्यायें कहाँ नहीं होती हैं ? तो इसका उत्तर आयेगा जब तक जीवन है और जीवन में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है तो समस्याओं से हमारा सामना तो होता ही रहेगा लेकिन समस्याओं से डर कर हम अपनी दिशा ही बदल दें या लक्ष्य से हट जायें तो यह किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, यदि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो एक बात तो एकदम स्पष्ट हो ही जाती है कि समस्यायें पद्धति में या पद्धति से नहीं हैं अपितु समस्याओं की जड़ में हमारी अधकचरी सोच है, सब कुछ पाने के बाद भी कुछ न पाने जैसा व्यवहार करना ! यह किस बात का प्रदर्शन है ? यह शायद समझ से परे है, पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा वर्ग ज़्यादा सक्रिय हो गया है जिसका विश्वास कर्म से ज़्यादा अर्थ प्राप्त करने में है और इसमें अधिपत्य भी व्यक्तिगत होने की लालसा रखते हैं, यही एकमात्र कारण है जो समय लम्बा खिंचता जा रहा है और समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है कभी–कभी तो ऐसा लगने लगता है कि क्या यह अन्तहीन समस्यायें हैं ? तभी मन कहता है कि ऐसी कोई समस्या अभी तक पैदा नहीं हुयी है जिस समस्या का समाधान न हो और समाधान में अस्तु , किन्तु और परन्तु का कोई स्थान होता ही नहीं है, देखा जाये तो अब समस्या है ही कहाँ ! जो भी समस्यायें हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वे सारी की सारी हमारे द्वारा ही तो पैदा की जा रही हैं, अगर हम मन से स्थिर हो जायें और स्वयं पर विश्वास करने लगें तो शनै–शनै समस्यायें स्वयं ही समाप्त होने लगेंगी, स्वयं द्वारा निर्मित कुछ समस्याओं पर इस लेख के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करने की यह कोई समस्या नहीं है– 21 जून, 2011 का आदेश राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है, 04 जनवरी 2012, 02 सितम्बर 2013, 14 मार्च 2016 हमें प्रदेश में अधिकार पूर्वक कार्य करने के पूर्ण अवसर प्रदान कर रहे है।

अब जब हम स्वयं ही इन अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं तो किसी का क्या दोष ? न्यायालय का आदेश है जिसपर शासन की मुहर भी है कि जो चिकित्सक प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है उसे अपनी पद्धति से सम्बंधित चिकित्सा के जनपदीय अधिकारी के कार्यलय में जाकर अपनी योग्यता, अर्हता एवं पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित अधिकारी को देनी है, जिसे आम भाषा में जनपदीय पंजीयन का नाम दिया गया है यदि हम इस जनपदीय पंजीयन को कराने से कतरायेंगे तो समस्यायें तो जन्म लेंगी ही, अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि समस्या खुद की पैदा की हुयी है कि नहीं ? अब इसी विषय को लेकर व्यर्थ का विवाद करना कहाँ की नैतिकता है ? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है और यही समस्या सारी समस्याओं की जननी भी है यह समस्या है संस्थाओं के संचालन की, 25 नवम्बर, 2003 का आदेश आने से पहले प्रदेश में लगभग 3 दर्जन शीर्ष संस्थायें और लगभग 350 से अधिक विद्यालय संचालित हो रहे थे अब अधिकार किसी एक संस्था के पास निहित है,शेष अधिकारों के लिये परेशान हैं, यह समस्या भी कोई समस्या नहीं है, भारत में लोकतंत्र है हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है, वर्ष 2004 में न्यायालय का एक आदेश आया कि चिकित्सा प्रमाणपत्र देने वाली सभी संस्थायें अपने पंजीयन का आवेदन शासन में करें अब हर एक संस्था संचालक के पास सुनहरा अवसर था कि शासन में पंजीयन हेतु आवेदन करता और आदेश प्राप्त कर लेता, तत्पश्चात अधिकार पूर्वक कार्य करता, ऐसे में समस्या कहाँ थी! लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया और अपने लिये स्वयं ही समस्यायें पैदा कर ली।

जो लोग व्यर्थ का प्रलाप करते हैं कि सरकार हमें कोई अवसर नहीं दे रही है ऐसे लोग भोले–भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथों को दिशाभ्रमित कर रहे हैं, सरकार किसी से भेद– भाव नहीं करती है, हर एक को कार्य करने का पूर्ण अवसर प्रदान करती है और कर भी रही है, आप ही अवसर लेना न चाहें तो कोई क्या करेगा ? देश और प्रदेश में कार्य करना है तो प्रचलित कानूनों का पालन तो करना ही पड़ेगा।

तीसरी समस्या है स्वयं को स्थापित करने की ! यह भी कोई समस्या की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि स्थापित होने के लिये कार्य करके स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता है यदि हमारा कार्य जनोपयोगी है तो हमारी पूछ स्वयं ही हो जायेगी।

जनसाधारण ही नहीं अपितु प्रायः इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्था संचालक तक पूछते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से विधिक रुप से कार्य कर सकते हैं या नहीं! भाई मेरे 25 नवम्बर, 2003 काम करने की निदेर्शिका है, 05–05–2010 शंकाओं का समाधान है और 21 जून, 2011 भारत सरकार द्वारा जारी अधिकार पत्र है इसके उपरान्त भी कार्य कैसे करें ? यह पूछना समस्याओं को जन्म देने जैसा है।

किसी ने होम्योपैथी, सिद्धा और सोवा रिग्पा जैसी चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता के बारे में सरकार से प्रश्न किया कि इन पद्धतियों की मान्यता सरकार ने किन परिस्थितियों में दी है ? सरकार ने दो–टूक जवाब दिया हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसी तरह का एक प्रश्न कि **Dr.** लिखने का अधिकार किस–किस को है ? जवाब आया कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 का अवलोकन करें।

यह सारे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि समस्यायें कहीं नहीं हैं और समस्या अगर कहीं है तो वह हमारे मन में ही है।

आजकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक बड़ी समस्या औषधियों के निर्माण एवं उसके लिये अनुमति प्राप्त करने की है, सरकार भी इसी सम्बंध में इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने से पूर्व चाहती है जबकि प्रपोज़लकर्ता औषधियों के निमार्ण एवं प्रयोग के बारे में दावे तो खूब करते हैं परन्तु केन्द्र सरकार को जानकारी समुचित ढंग से उपलब्ध कराने में पीछे हैं।

इसलिये मन को स्थिर रखते हुये सिर्फ़ काम करें और समस्याओं को जन्म न दें।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

C.E.H. एक वर्ष – हाई स्कूल अथवा समकक्ष

A.C.E.H. एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 9335916076
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	VACANT
5	Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9451162709
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 8423596191
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 8052791197
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmanshah, Near Charkhamba,Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Rai	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddhatth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	Dr. V.P. Srivastav 9415669294

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9836131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	9889426312	
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	6395361883	
61	Dr. Shiv Kumar Pal	Prem Nagar, Dak Banglow Bye Pass Road	FIROZABAD	9027342885	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	7398941680	mpsr31@gmail.com
63	Dr. Ram Autar Kushwaha	Kushwaha Electro Homoeopathic Clinic & Study centre	KANPUR	9793261649	

LIST OF AUTHORISED STUDY/GUIDENCE CENTRES OTHER STATE

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
81	Dr. Devendra Singh	374/4 Shahid Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090	9873609565	
82	Dr. Pankaj Kumar	Kaithi P.S. Chautham	KHAGARIA-851201	7549417934	

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
92	Dr. S.K. Saxena	Parker College Road	MORADABAD	8171869605	
93	Electro Homoeopathic Exam	Registrar B.E.H.M. U.P. Kanpur Campus	KANPUR	0512-2970704	
95	Dr. Vikas	303/6 Gyan Nagar, Purkhas Road	SONIPAT-131001	9639300426	7302653934

Registrar

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।

JANUARY 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

FEBRUARY 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

MARCH 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

APRIL 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAY 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

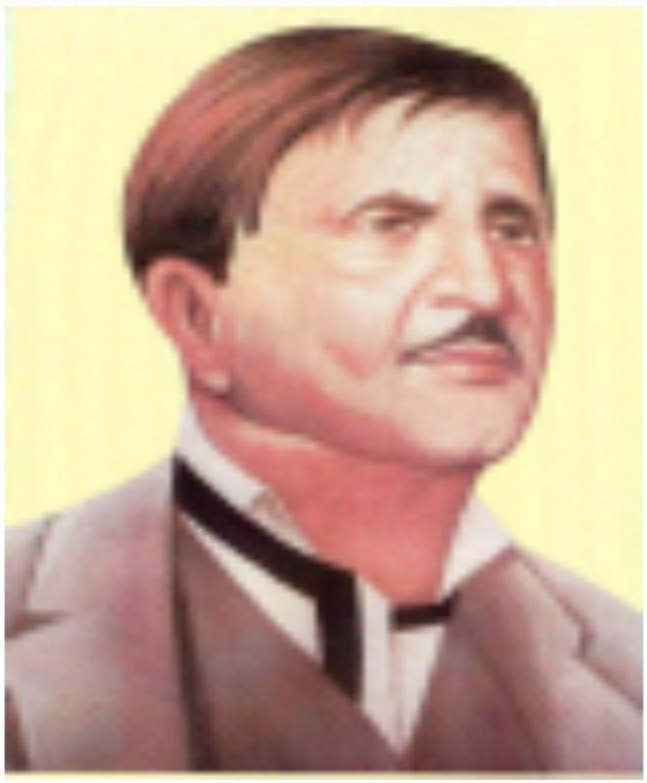

Dr. Count Ceasure Mattei 11th. January, 1809

JUNE 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

JULY 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

AUGUST 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SEPTEMBER 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OCTOBER 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

NOVEMBER 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DECEMBER 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Un forgettable dates

- 04 January → Adhikar Diwas
- 11 January → Mattei Diwas
- 24 April → Board's Foundation Day
- 21 June → Vijay Diwas
- 25 July → EHMAI Foundation Day
- 04 September → Mattei Nirwan Diwas
- 30 November → Prerna Diwas

(Dr. N.L. Sinha Jayanti)